75th Anniversary of Constitution

Constitution Day, celebrated every year on November 26, marks the adoption of the Constitution of India in 1949. As we approach its 75th anniversary, this day not only commemorates the foundational legal framework of the country but also serves as a moment for reflection on the core principles of justice, liberty, equality, and fraternity that it embodies.

The journey towards a constitutional framework began long before India's independence. The need for such a framework emerged from the socio-political challenges posed by British colonial rule. Various reforms, including the Government of India Act of 1935, set the stage for self-governance and democratic ideals. Following independence in 1947, the Constituent Assembly, which included prominent leaders such as Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel, worked tirelessly to draft a Constitution reflective of India's diverse aspirations. The draft was officially adopted on November 26, 1949, establishing India as a sovereign democratic republic.

The Constitution of India stands as the supreme law of the land, detailing the governance structure, fundamental rights, and duties of citizens. It enshrines a system of checks and balances among the executive, legislature, and judiciary, ensuring no single entity can dominate. Its comprehensive nature draws from various legal traditions, making it one of the longest written constitutions globally, comprising 448 articles and 12 schedules. A notable feature is its emphasis on fundamental rights, guaranteeing civil liberties for all citizens. Rights such as equality, freedom of speech, and protection against discrimination underscore the commitment to dignity and equality, irrespective of caste, creed, or gender.

The Preamble reading is a key event during Constitution Day celebrations, encapsulating the essence of justice, liberty, equality, and fraternity. Educational institutions often host debates, discussions, and workshops to foster a deeper understanding of constitutional rights and responsibilities among students and citizens alike. In 2015, the Government of India officially declared November 26 as Constitution Day, emphasizing its importance in the nation's democratic framework. This has further spurred efforts to educate the public about constitutional values and principles. Constitution Day serves as a reminder of the necessity to uphold the values enshrined in the Constitution. In a diverse nation like India, it acts as a unifying force that promotes social justice and inclusivity, ensuring marginalized voices are heard.

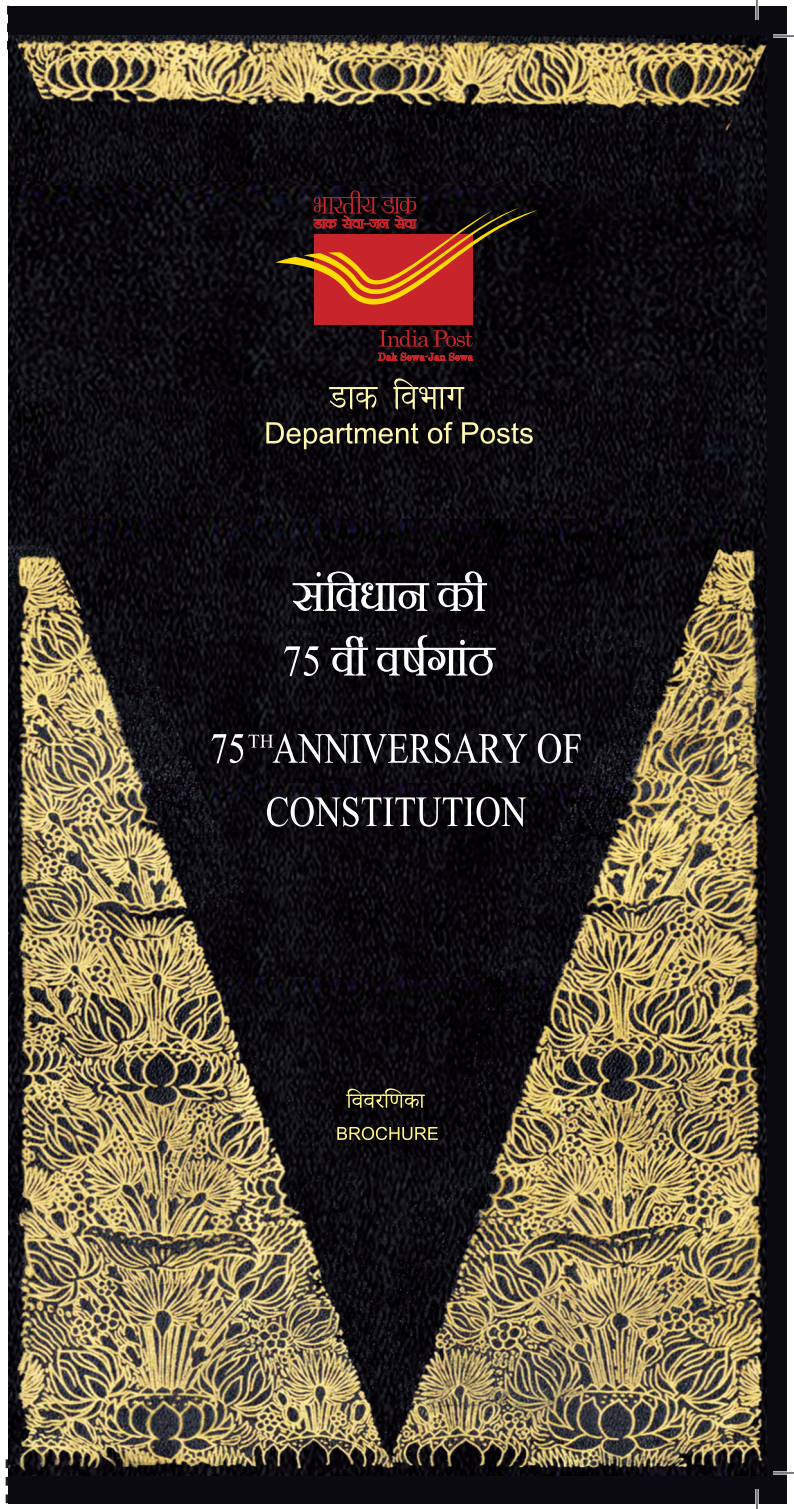
The judiciary plays a pivotal role in interpreting and enforcing the Constitution. Landmark Supreme Court judgments have shaped the legal landscape, acting as guardians of fundamental rights against arbitrary state actions.

The youth are vital in shaping the future of democracy. Engaging them in constitutional discussions and encouraging participation in democratic processes can cultivate a more informed and active citizenry. Constitution Day is an urgent call to action for the younger generation to uphold democratic principles and strive for a society reflecting the Constitution's ideals. As we celebrate the 75th Anniversary of Constitution, we honour the foundational values that support the Indian state. This occasion is a reminder for all citizens to reflect on their rights and responsibilities, actively participating in the democratic process. By honouring the Constitution and its architects, India can reaffirm its dedication to justice, liberty, equality, and fraternity. Celebrating the 75th Anniverary of Constitution is more than a celebration of a historical document; it is a call to continue the journey towards a just and equitable society. Let it inspire each citizen to engage actively with the Constitution, ensuring its values guide us towards a brighter future.

Department of Posts is proud to release Commemorative Postage Stamp on 75th Anniversary of Constitution. This initiative honours the Constitution's vital role in shaping India's democracy and safeguarding fundamental rights, celebrating its enduring impact on the nation's unity and progress.

Credits:

Stamp/FDC/Brochure/ Cancellation Cachet	:	Ms. Gulistaan
Text	:	Referenced from content provided by Proponent.



संविधान की 75वीं वर्षगांठ

प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सन् 1949 को इसी दिन भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। इस वर्ष हम संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस दिन देश की मूलभूत विधिक संरचना का अधार निर्धारित हुआ था। यह दिन, संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों पर चिंतन करने का भी दिन है।

भारत के संविधान की यह यात्रा स्वतंत्रता से बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण उत्पन्न सामाजिक–राजनीतिक चुनौतियों के परिणामस्वरूप इस तरह की संवैधानिक अवसंरचना की आवश्यकता महसूस हुई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम सहित विभिन्न सुधारों ने स्वशासन और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए आधार तैयार किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, संविधान सभा, जिसमें डॉ. बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे प्रमुख नेता शामिल थे, ने भारत की विविध आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु अथक कार्य किए। संविधान के इस प्रारूप को आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया। इस प्रकार, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

भारत के संविधान में शासन संरचना, मौलिक अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य वर्णित हैं और यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में प्रतिष्ठापित है। यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी एक निकाय दूसरे पर हावी न हो। भारत का संविधान अत्यंत व्यापक है। इसमें विभिन्न देशों की विधिक परंपराओं का समावेश किया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानो में से एक होने का गौरव प्रदान करता है। इसमें कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मौलिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह, सभी नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। जाति, संप्रदाय अथवा लिंग के आधार पर भेद–भाव किए बिना समानता, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और 'भेदभाव से सुरक्षा' जैसे अधिकार, हर नागरिक की गरिमा की रक्षा करने और उनके साथ समानता से व्यवहार किए जाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

संविधान दिवस समारोह के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सार समाहित है। यह, इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। शैक्षणिक संस्थान प्रायः छात्रों और नागरिकों में संवैधानिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों की गहरी समझ विकसित करने के लिए चर्चा, परिचर्चा और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। देश के लोकतांत्रिक ढांचे में संविधान के महत्व पर बल देते हुए वर्ष 2015 में, भारत सरकार ने 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर 'संविधान दिवस' घोषित किया। इसके फलस्वरूप आमजन को संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में जागरूक करने के प्रयासों में और अधिक तेजी आई है। संविधान दिवस, संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता का स्मरण कराता है। साथ ही, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, यह हमें एकजुट करने वाली ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो सामाजिक न्याय और समावेशिता को प्रेरित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज भी सुनी जाए।

संविधान की व्याख्या करने और उसे लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों ने देश के विधिक परिदृश्य को आकार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है और ये निर्णय, राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरूद्ध मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

लोकतंत्र के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका है। युवाओं को संवैधानिक चर्चाओं में शामिल कर और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें भविष्य के लिए जागरूक और सक्रिय नागरिक के रूप में तैयार किया जा सकता है। संविधान दिवस, युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और संविधान के आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाले समाज के निर्माण के उद्देश्य से आगे आने हेतु आवश्यक आह्वान है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम भारत के आधार स्तम्भ के रूप में कार्य करने वाले बुनियादी मूल्यों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यह अवसर, सभी नागरिकों को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों पर विचार करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी करने की याद दिलाता है। संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान प्रकट करके ही, भारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति अपने समर्पण को प्रबल रूप से दोहरा सकता है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ का समारोह, एक ऐतिहासिक प्रलेख का उत्सव मात्र नहीं है बल्कि यह न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की ओर यात्रा जारी रखने का आह्वान भी है। हम आशा करते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति सक्रिय रूप से समर्पित रहने की प्रेरणा प्राप्त हो और हर नागरिक यह सुनिश्चित करे कि संविधान में निहित मूल्यों से मार्गदर्शन प्राप्त कर हम उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हों।

डाक विभाग संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए गौरवान्वित अनुभव करता है। यह डाक–टिकट, राष्ट्र की एकता तथा प्रगति में संविधान के चिरस्थायी योगदान को रेखांकित करते हुए, भारत के लोकतंत्र को आकार देने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है।

आभार :

डाक–टिकट/प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका/विरूपण कैशे : सुश्री गुलिस्तां

पाठ : प्रस्तावक द्वारा प्रदत्त सामग्री से संदर्भित।

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रितडाक–टिकटें	: 202800
Stamps Printed	: 202800
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 15.00